

4078

A-17



03CC 943412

SR-03

(1)

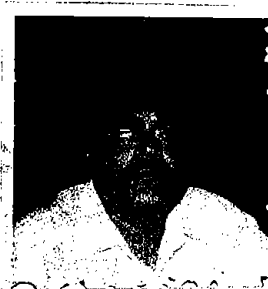
बैनामा अंकन - 34,15,500/- रुपये का

स्टाम्प अंकन - 3,42,000/- रुपये का

विवरण विक्रय भूमि :- भूमि खाता नं० 689 खसरा
नं० 2869 रकबई 0.2530 हेक्टेयर अर्थात् 2530 वर्गमीटर
भूमि इस विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय की जा रही है, जो
ग्राम शाहपुर बम्हेटा परगना डासना तहसील व जिला

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

गौरमान
रज देव

श्री. गहलोत कम्पनिज, अजमेर



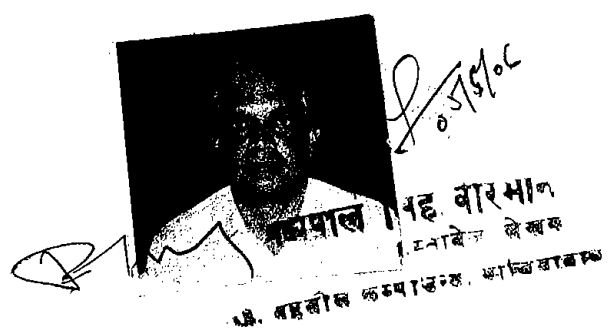
03CC 943411

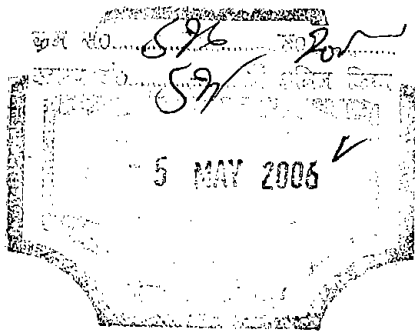
(2)

गाज़ियाबाद में स्थित है। विकित भूमि में इस समय कोई फसल नहीं है, विकित भूमि में कोई निर्माण किसी प्रकार का नहीं है अर्थात् पूर्णतया खाली है। केता ने विकेता के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है एवं अपनी पूर्ण संतुष्टि के पश्चात विकेता से भूमि कय कर रहा है। केता ने कय की जाने वाली भूमि को मौके पर

[Signature]

[Signature]



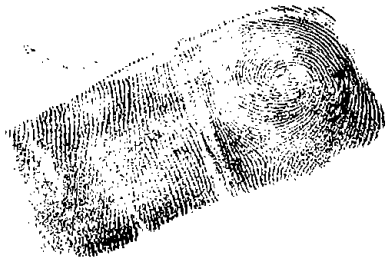


223040 2140
2140 1210
B.32 2140016: सत्य गान गाओ
2140 1210
2140 1210
मूर की को का
2140 1210
2140 1210

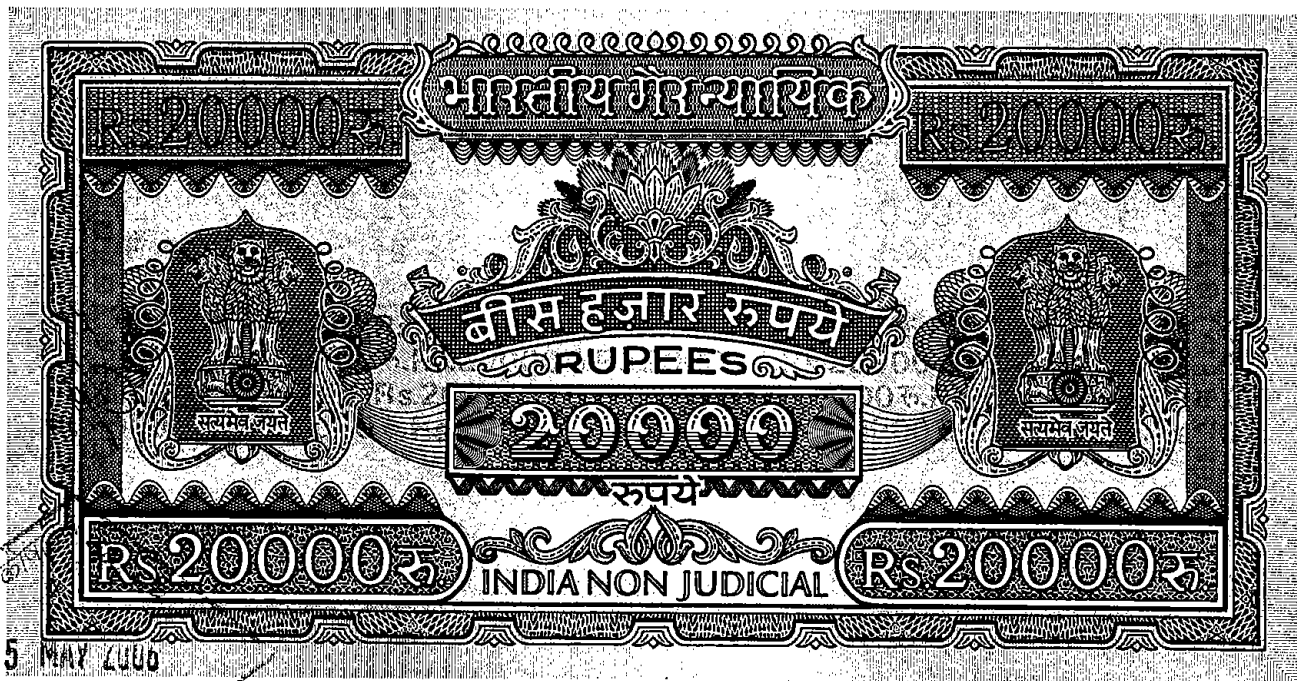


S.B. Yum

1 A 10
01/05/2006



2140 1210
2140 1210



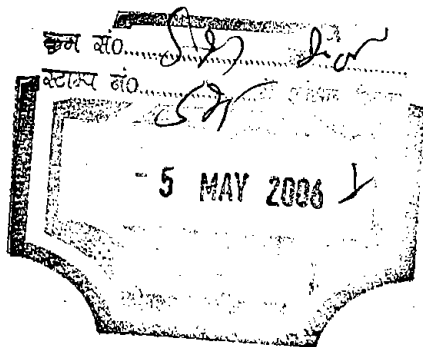
03CC 943410

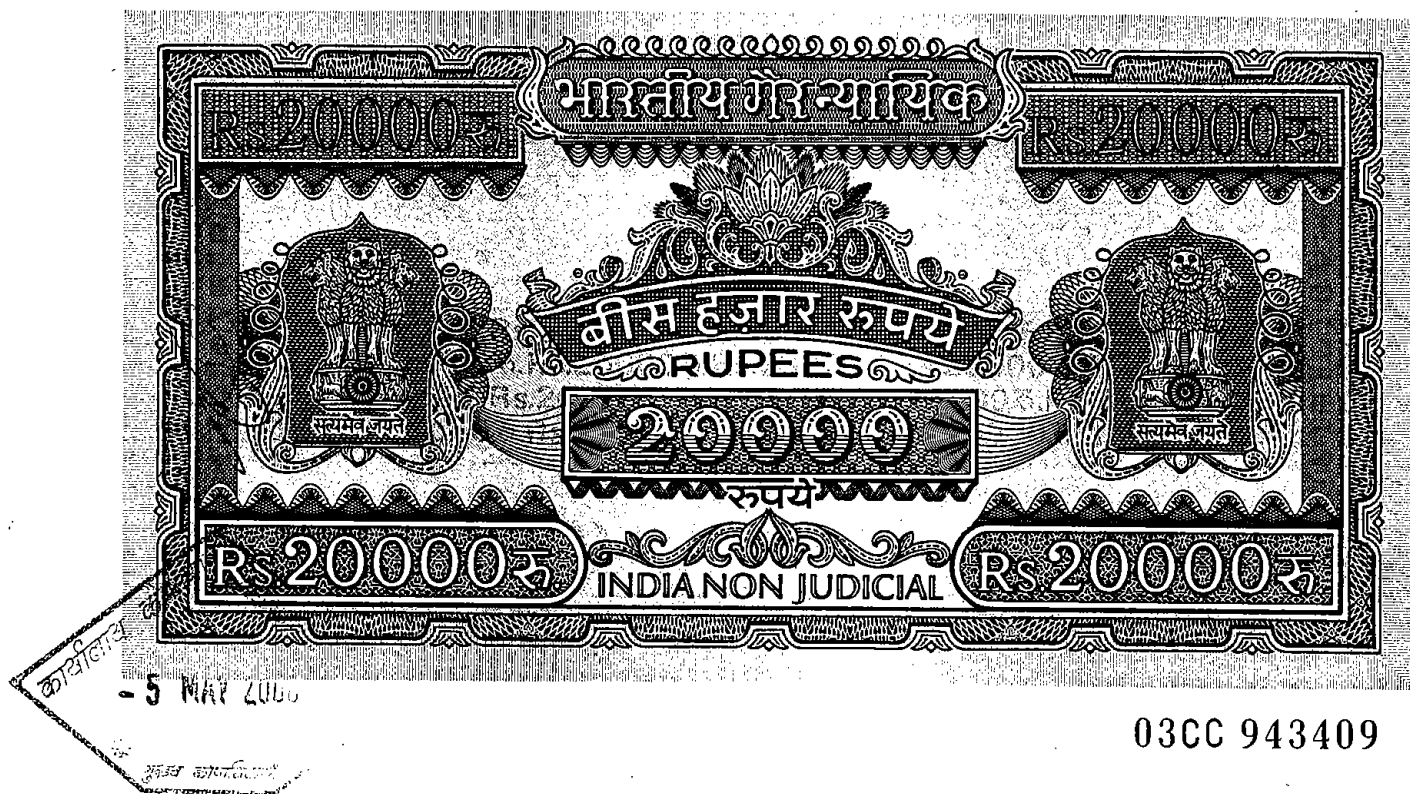
(3)

भली प्रकार देख लिया है एवं संतुष्ट है। विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति अथवा जनजाति से नहीं है। विक्रय भूमि ग्राम समाज, अथवा वक्फ की नहीं हैं। जिसका मानचित्र विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया गया है। विक्रित भूमि मुख्य मार्ग से 200 मीटर से अधिक की

[Signature]

[Signature]

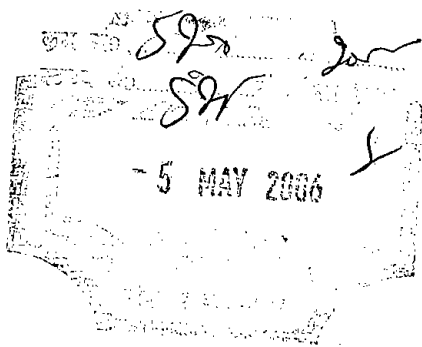




(4)

दूरी पर स्थित है।

हम कि सूर्या वैभव डवलपर्स प्रा० लि० एस०- 25,
ग्रीन पार्क मेन रोड नई दिल्ली द्वारा अधिकृत
प्रतिनिधि श्री सुखदेव बब्बर पुत्र श्री जे० एस० बब्बर
निवासी - 1862, महालक्ष्मी मार्केट भगीरथ पैलेस



THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF NEW YORK
ALBANY



03CC 943408

(5)

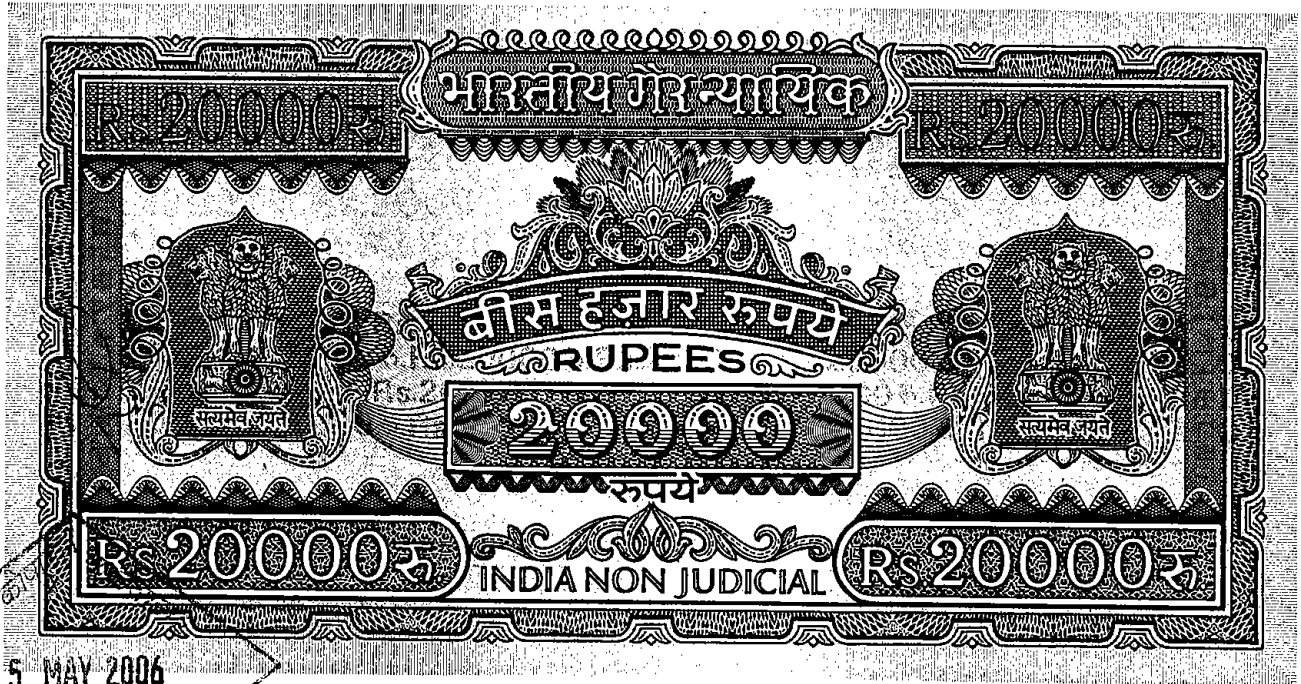
चांदनी चौक दिल्ली - प्रथम पक्ष विक्रेता, जिसे इस लेखपत्र में आगे चलकर विक्रेता कहा गया है। एवं सामग रियेलेटर्स प्रा० लि० बी- 67, सरिता विहार दिल्ली- 76 द्वारा श्री जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र शर्मा निवासी - एस० आई०- 18, शास्त्रीनगर गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद - द्वितीय

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

599
525
- 5 MAY 2006
1





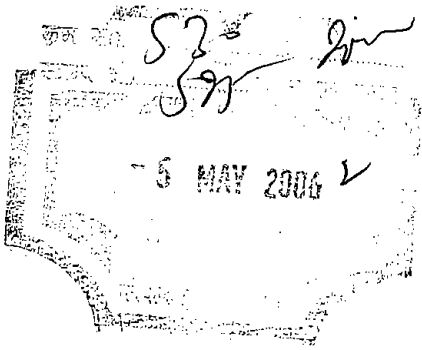
(6)

पक्ष केता, जिसे इस लेखपत्र में आगे चलकर केता कहा गया है।

इस लेख पत्र में विकेतागण व केता कम्पनी के समस्त उत्तराधिकारीगण, वैधानिक एवं न्यायिक प्रतिनिधिगण भी पूर्णतः सम्मिलित समझे जायेंगे।

[Signature]

[Signature]





(7)

विदित हो भूमि खाता नं० 689 खसरा नं० 2869 रकबई 0.2530 हेक्टेयर अर्थात् 2530 वर्गमीटर भूमि इस विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय की जा रही है, जो ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद में स्थित है, की प्रथम पक्ष विक्रेता फर्म





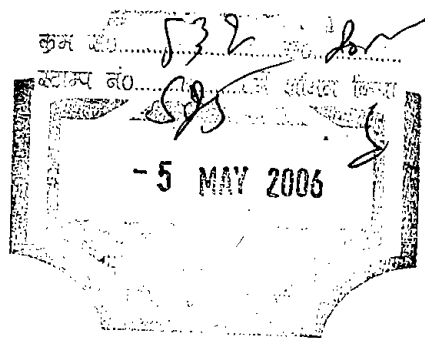
03CC 943405

(8)

मालिक काबिज द्वारा खरीद बैनामा इकरारी श्री सतपाल सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी- ग्राम शाहपुर बम्हेटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद तहरीरी दिनांक 31.10.2005 जो कार्यालय उपनिबन्धक गाजियाबाद में बही नं 1 जिल्द नं 6277 के पृष्ठ 119/245 पर नम्बर 7164 पर दिनांक 31.10.2005 को दर्ज है, है। तथा मैं

[Signature]

[Signature]





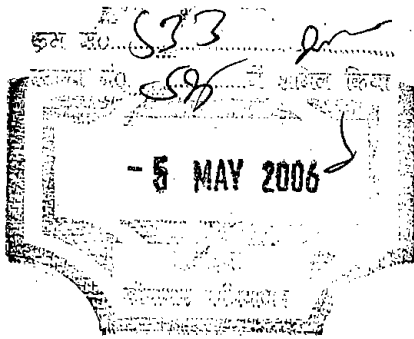
03CC 943404

(9)

निष्पादक फर्म उपरोक्त की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि होने के कारण फर्म की ओर से भूमि को विक्रय आदि के पूर्ण अधिकारी है उपरोक्त भूमि को विक्रय आदि करने में कोई वैधानिक दोष व त्रुटि नहीं है। उपरोक्त भूमि आज दिन तक हर प्रकार के भार बन्धक से मुक्त

[Signature]

[Signature]





- 5 MAY 2006

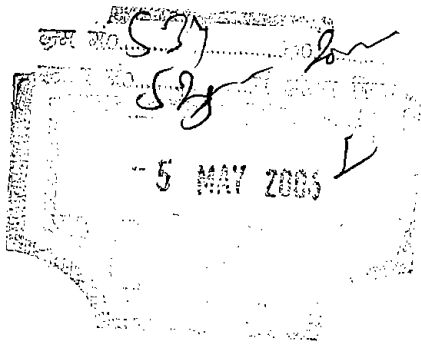
03CC 943403

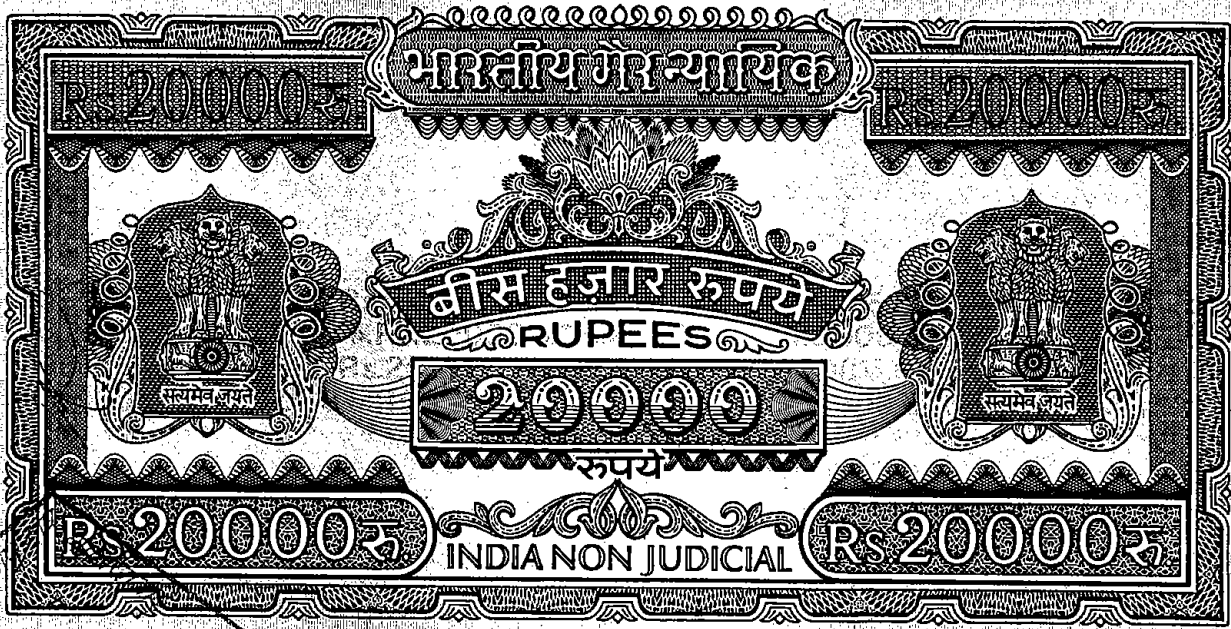
(10)

है, कही अन्य आड़, रहन, बय, हिबै, महायदाबय, जमानत बैंक लोन आदि से ग्रस्त नहीं है। हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है। अतः मुझ प्रथम पक्ष निष्पादक ने फर्म की ओर से सालिम भूमि उपरोक्त को अपनी खुशी रजामन्दी समस्त स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में

[Signature]

[Signature]





- 5 MAY 2006

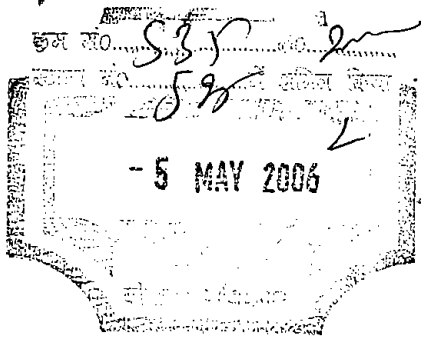
03CC 943402

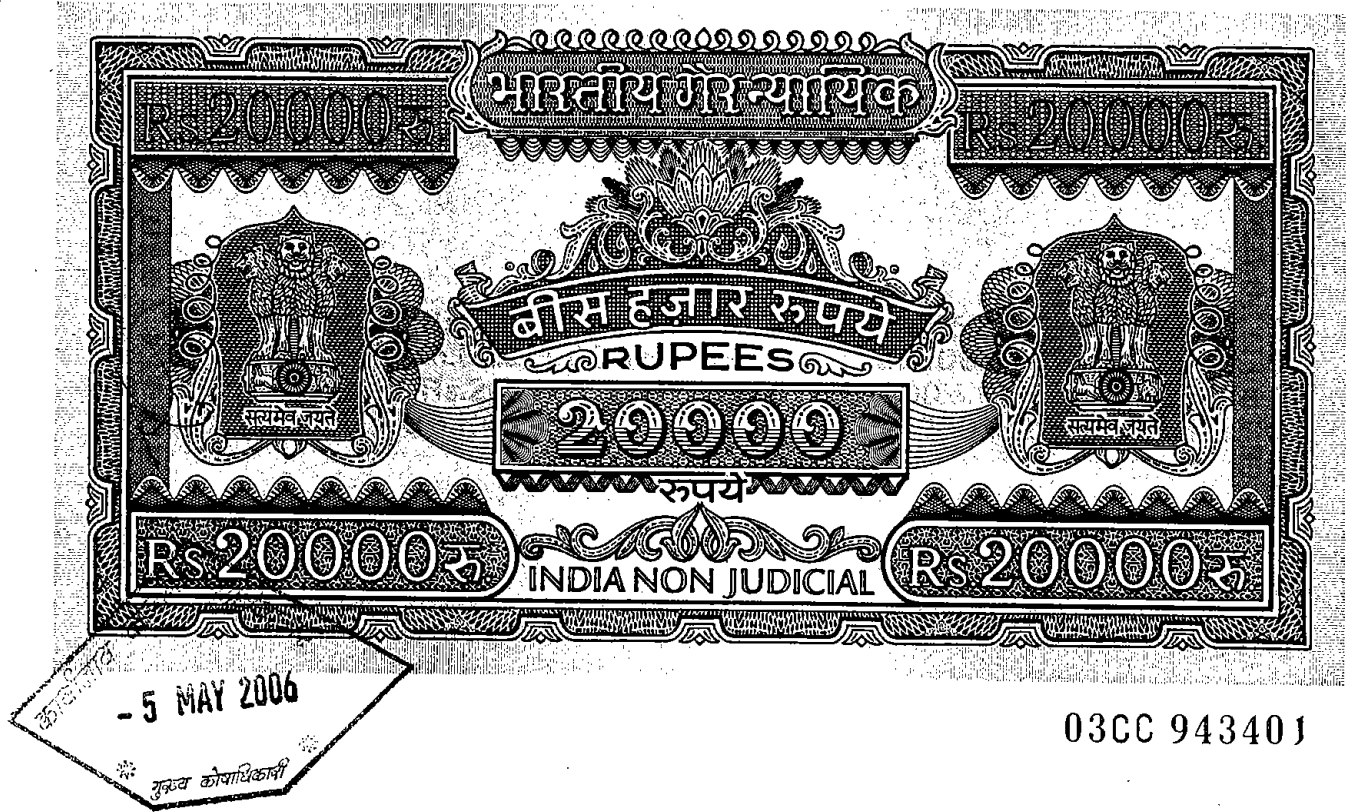
(11)

पूर्णतया सोच-समझकर मय तमामी हकूक मालिकाना दाखली व खारजी हर किसम मय कब्जा आदि आदि सहित आज की तारीख में बदले अंकन - 34,15,500/- रुपये (चौतीस लाख पन्द्रह हजार पांच सौ रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन - 17,07,750/- रुपये होते है, में

[Signature]

[Signature]





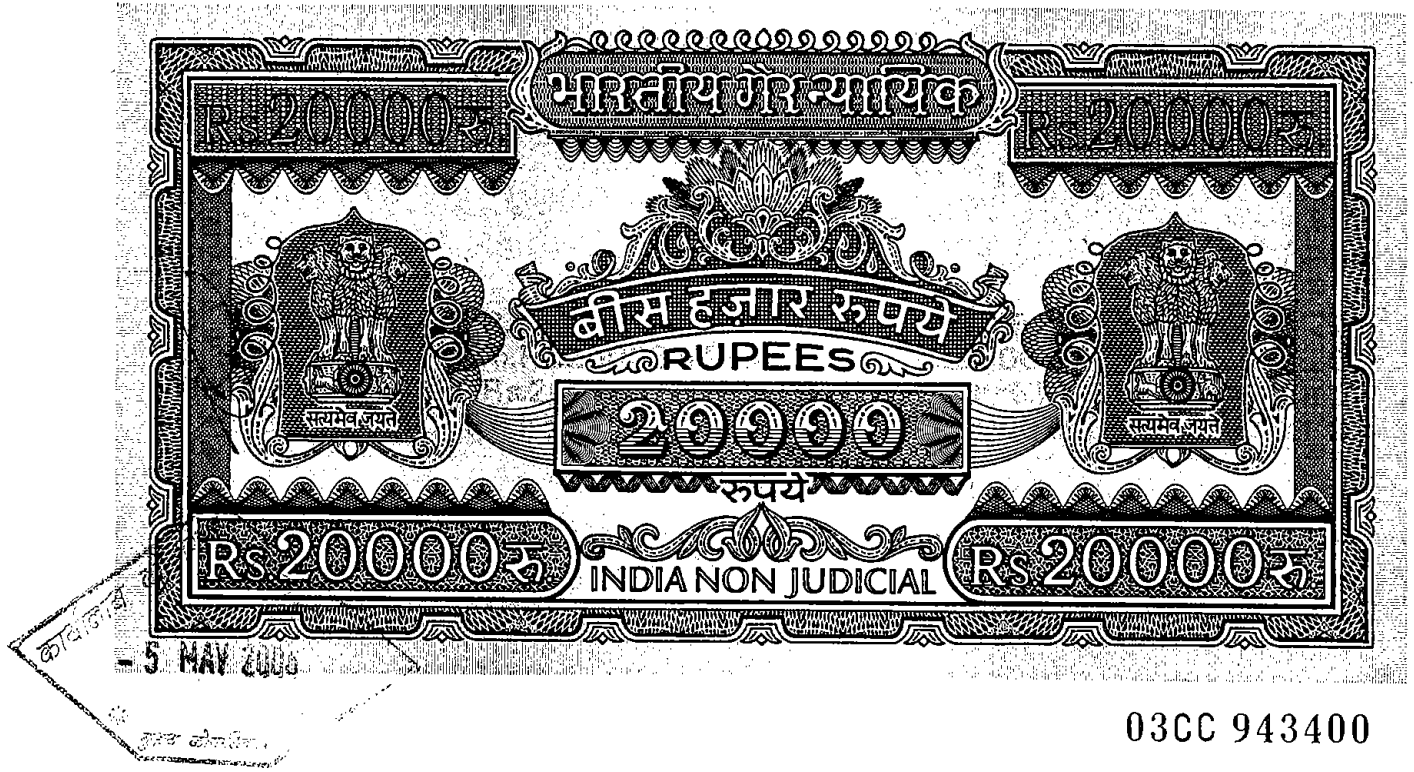
(12)

हाथ द्वितीय पक्ष केता फर्म/कम्पनी उपरोक्त को विक्रय कर दी और कुल कीमत मुझ प्रथम पक्ष निष्पादक ने द्वितीय पक्ष केता फर्म/कम्पनी से निम्न विवरणानुसार प्राप्त कर ली है। इस प्रकार बाबत कीमत कुछ बाकी नहीं रहा है। विक्रय भूमि का बैनामा विक्रेता व केता के

[Handwritten signature]

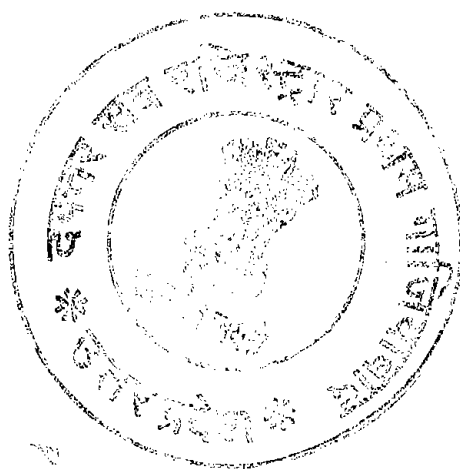
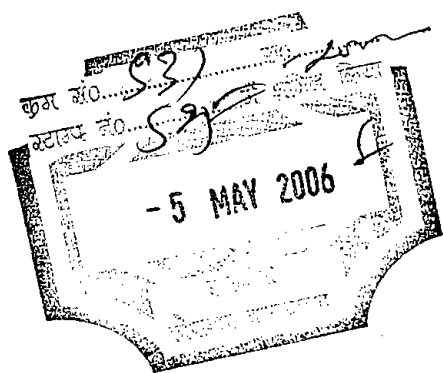
[Handwritten signature]

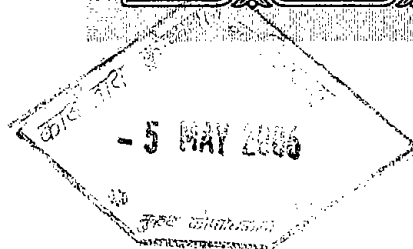
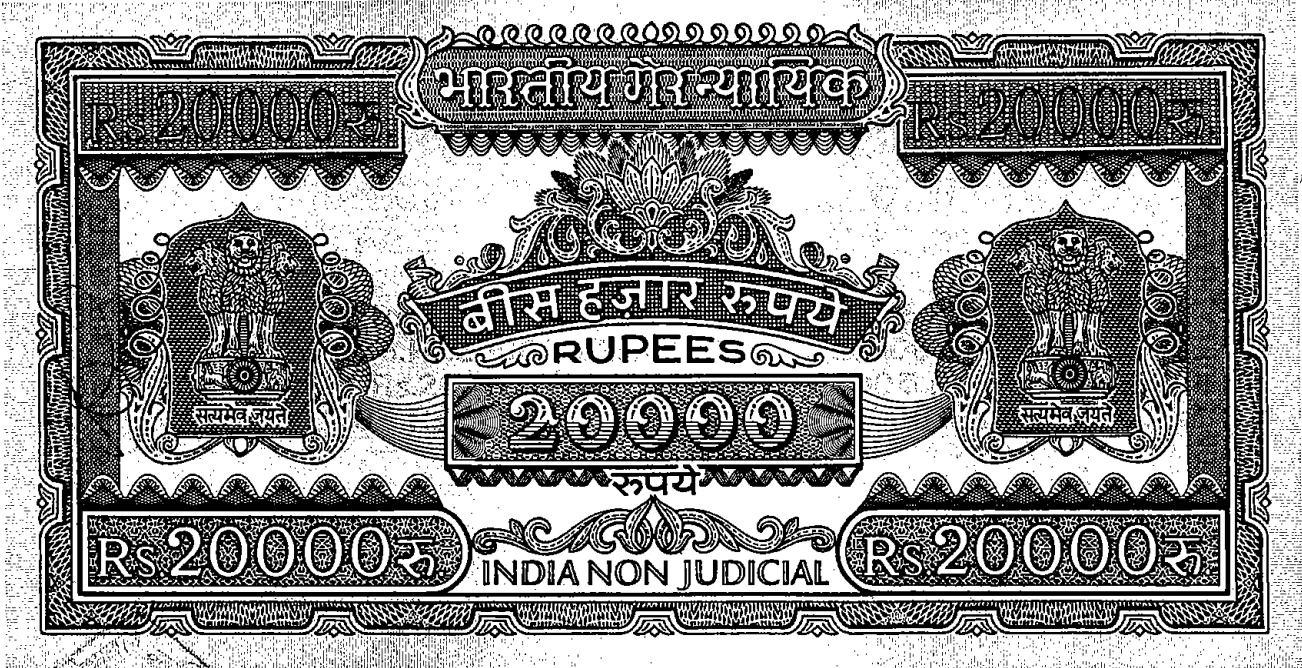




(13)

वर्णनानुसार लिखा गया है, अधिवक्ता/दस्तावेज लेखक का अपना कोई कथन नहीं है। भूमि की निर्धारित आवासीय दर 1,000/- प्रति वर्गमीटर है, स्टाम्प ड्यूटी वास्तविक पर नियमानुसार अदा की जा रही है। विक्रेता व. केता ने पढ़कर, सुनकर व समझकर विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। अब इकरार यह कि उपरोक्त





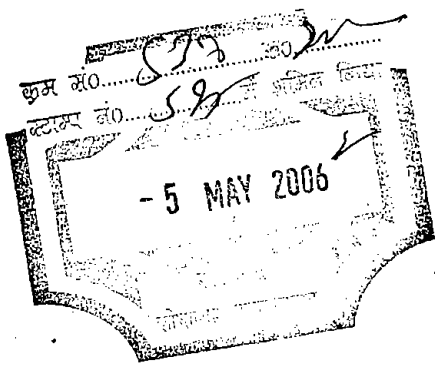
03CC 943399

(14)

भूमि को मिलकियत उसके मूल्यधन तथा किसी अंग से मुझ विकेता फर्म अथवा मेरे किसी भी वारिसान अथवा प्रतिनिधि का कोई सम्बन्ध बाकी नहीं रहा है, न आइन्दा होगा। कब्जा मौके पर पूर्ण व वास्तविक रूप से द्वितीय पक्ष फर्म/कम्पनी उपरोक्त का करा दिया है, अब

Babbar

Babbar





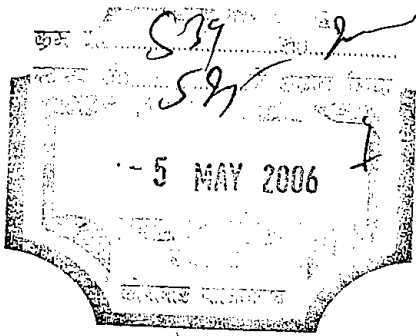
03CC 943398

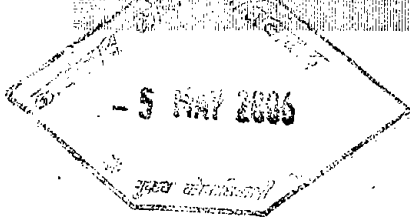
(15)

द्वितीय पक्ष फर्म/कम्पनी उपरोक्त भूमि के पूर्ण रूप से मालिक काबिज हो गये है, जिस प्रकार चाहे अपने प्रयोग मालिकाना में लाकर लाभ उठावें, स्वयं कृषि करे, अथवा किसी प्रकार का निर्माण अथवा कालोनी इत्यादि का निर्माण स्वयं अथवा किसी अन्य से कराये, किसी प्रकार का विक्रय पत्र आदि करे अथवा विक्रय करने का अनुबन्ध पत्र करे, गरज यह कि उक्त भूमि के विषय में जो मालिकाना अधिकार प्रथम पक्ष फर्म को प्राप्त थे, वे

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

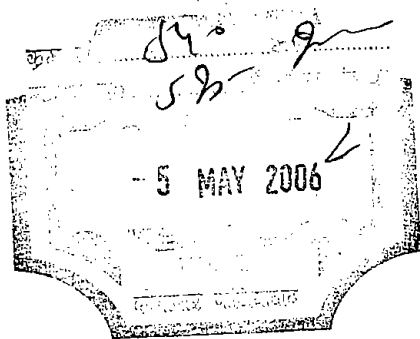


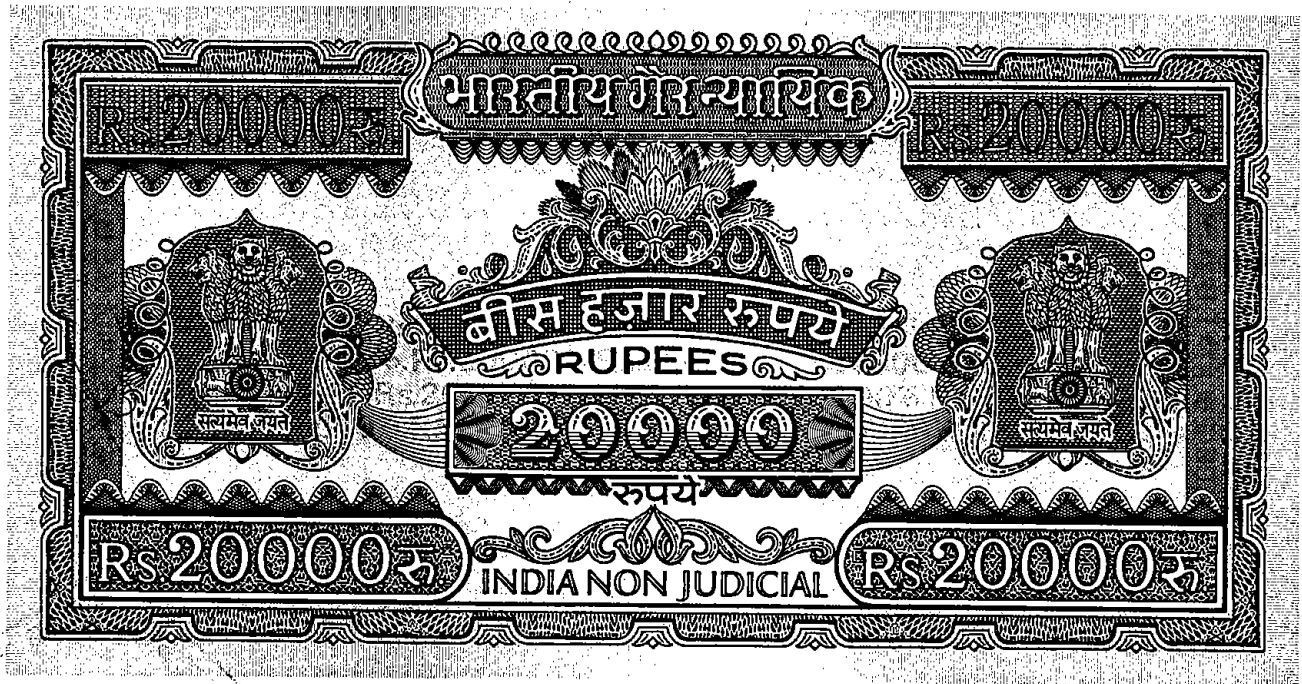


03CC 943397

(16)

समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष केता फर्म/कम्पनी को प्राप्त हो गये है। समस्त राजपत्रों में द्वितीय पक्ष अपना नाम इस विक्रय पत्र के आधार पर स्वयं दर्ज करा ले, इस विक्रय पत्र का व्यय द्वितीय पक्ष ने स्वयं वहन किया है, पक्षकारान के मध्य कोई इकरारनामा महायदाबय पंजीकृत नहीं हुआ है। अब इकरार यह है कि अगर बावजह बेइस्तहकाकी विक्रेता फर्म के या बदावेदारी





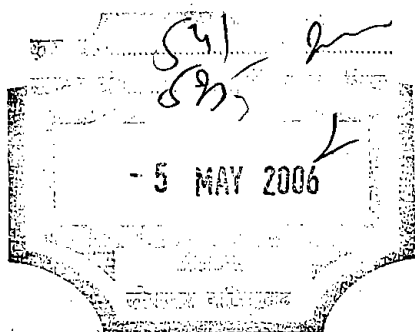
03CC 943396

(17)

किसी सहीम व शरीक के विक्रय की जाने वाली भूमि कुल अथवा उसका कोई भाग कब्जे या अधिकार केता से निकल जावेगा तो हर ऐसी दशा के उपस्थित होने पर फर्म विक्रेता समस्त विक्रय धन की वापसी का मय हर्जे-खर्चे सूद कानूनी के हिसाब से जिम्मेदार रहेंगे। उपरोक्त भूमि के विषय में भू राजस्व प्राधिकारी अथवा अन्य द्वारा इस विक्रय पत्र से सम्बन्धित भूमि के रजिस्ट्रेशन के दिनांक तक की कर आदि की किसी भी देनदारी का दायित्व भूमि विक्रेतागण को होगा और

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1000Rs.



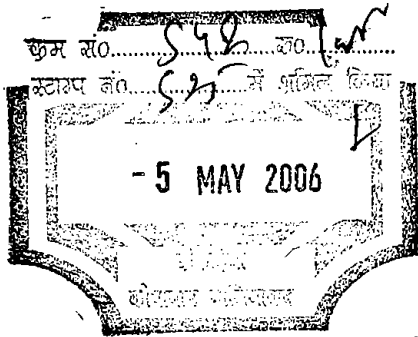
(18)

इसके पश्चात समस्त जिम्मेदारी केता कम्पनी की होगी।

अतः यह विक्रय पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

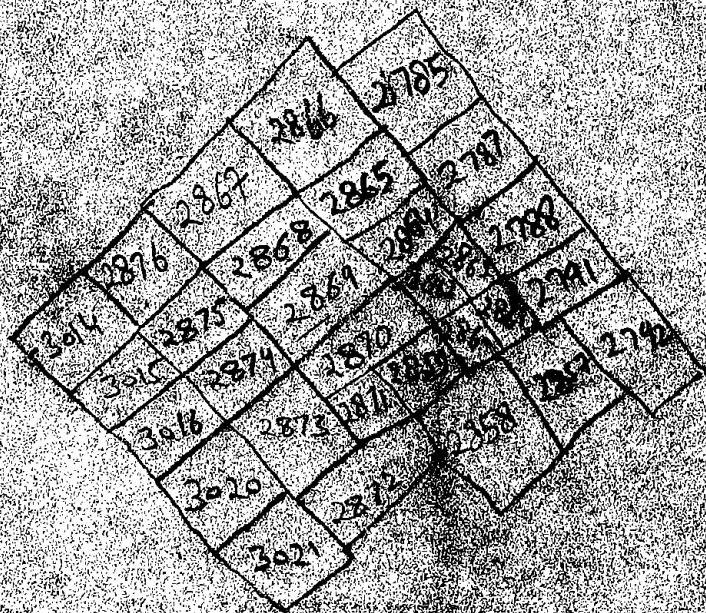
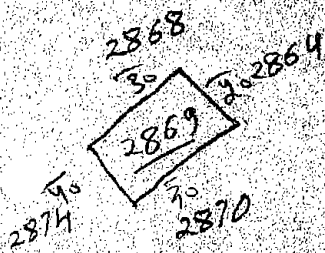
विवरण वसूलयाबी:-

अंकन 34,15,500/- रुपये द्वारा चेक नं० 786486 दिनांक 13-05-2006 जो इण्डियन ओवरसीज बैंक की शाखा पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली के खाते से जारी है, प्राप्त किये, इस प्रकार कुल धनराशि प्राप्त की तथा



कृषि मूली प्लान खाता नं० 689 खसत नं० 2869 डिप्ट-ग्राम
 शाहपुर बट्टेदा परगना डोसन तहसील बनेरवा मालियावाट (उ०प्र०)
 नोट:- यह मानचित्र 200 फी० की प्रिज्या में बना है।

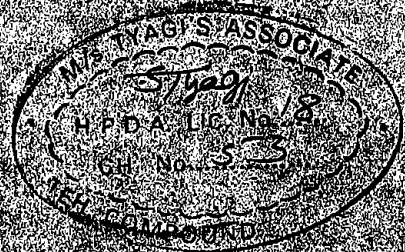
कुल विक्रय रकबा - 0.2530 हेक्टेयर
 यानि - 2530 वर्ग मी०



[Signature]
 विक्रेता

कृषि मूली प्लान

हस्ताक्षर



मनचित्र प्रलेख सं०.....
के साथ प्रस्तुत हुआ।

4075/06

सं० २० प्रथम
गाजियाबाद





- 3 MAY 2006

628083

(19)

कुछ भी शेष नहीं रहा है।

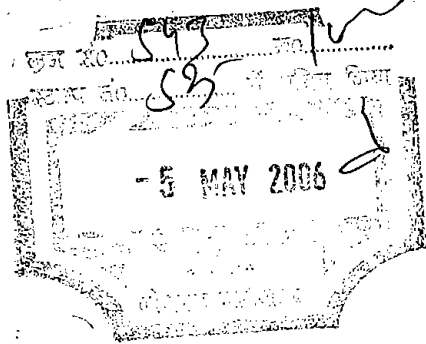
गवाह :- श्यामजी गोपाळ पुत्र श्री गोरशिवदयाळ
शिन्धी 51 दुल्हावा राजपुरा गा. नं. 23
राजगण गा. जालावाडी।



गवाह :- जिजेंद्र सिंह रिहवाल
1/2 थरगुडी ठहका गा. नं. 23
राजगण गा. जालावाडी।



दिनांक: - 05-05-2006 मसौदा चौधरी बहीपाल सिंह
वीरभान, दस्तावेज लेखक, अनुज्ञा पत्र संख्या- 85/89,
चेम्बर नं० 53, तहसील कम्पाउण्ड गाजियाबाद।



वही न० I जिल्ह न० 66001 के पृष्ठ 38 नम्बर 4075
को आज दिनांक 575706 को रजिस्ट्री की गई।

स० र० प्रथम
गाजियाबाद



मि० न० 1059

27.10.00

Vijay MITRA
23-5-07